रजिस्ट्री सं. डी. (डी एन.)-128

REGISTERED NO. D (D N.)-128

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 27, 1987/आषाढ़ 6, 1909

No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 27, 1987/ASADHA 6, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 जून, 1987

सा. का. नि. 487.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत तिब्बत सीमा पुलिस (प्रयोगशाला तकनीकज्ञ) भर्ती नियम 1977 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस में उप निरीक्षक (प्रयोगशाला तकनीकज्ञ) के पद पर भर्ती की पद्धति का नियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत तिब्बत सीमा पुलिस (उपनिरीक्षक) (प्रयोगशाला तकनीकज्ञ) भर्ती नियम, 1987 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना : ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदसंख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. सेवा का दायित्व : इन नियमों के अधीन पदों के किसी प्रवर्ग में नियुक्त किया गया व्यक्ति, भारत या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवा करने के दायित्व के अधीन होगा।

6. सेवा की अन्य शर्तें : केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस नियम, 1955, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त किए गये व्यक्तियों की सेवा की उन अन्य शर्तों की बाबत लागू होंगे जिनके बारे में इन नियमों में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है।

12	13	14
3. Promotion : Ferro-printers in Central Public Health and Environmental Engineering Organisation with 8 years' regular service in that grade, subject to passing Departmental test to be conducted by Central Public Works Department. Transfer on deputation : Draftsman Grade III(C) of Central Public Works Department with 2 years' regular service in that grade (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years;)		Not applicable
4. Not applicable		Not applicable

[F. No. A-12018/7/86-Admn. IV]
K S NARAYANAN, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 जून, 1987

सा.का.नि. 509—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आकाशवाणी महानिदेशालय में पर्यवेक्षक (विदेशी भाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी महानिदेशालय पर्यवेक्षक (विदेशी भाषा) भर्ती नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. विद्यमान पर्यवेक्षकों (विदेशी भाषा) की नियमित सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति.—

आकाशवाणी में संविदा पर कार्य कर रहे विद्यमान पर्यवेक्षकों (विदेशी भाषा) का नियमित सरकारी सेवकों के रूप में स्थायीकरण इन नियमों की अनुसूची के स्तम्भ 11 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया द्वारा शासित होगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयनपद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
पर्यवेक्षक (विदेशी भाषा)	15* (1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय	1100-50-1600 रुपये	लागू नहीं होता	40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	नहीं

6
टिप्पण आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : क (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित भाषा में मास्टर डिग्री या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से मास्टर डिग्री या संबंधित भाषा में डिग्री (संबंधित भाषा में कम से कम 6 पत्र के साथ) या समतुल्य या (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से उच्च पाठ्यक्रम का डिप्लोमा जो 3 वर्ष की अवधि से कम का नहीं हो। और (ख) (i) संबंधित भाषा बोली जाने वाले देशों/देश और उसके लोगों के इतिहास और संस्कृति का ज्ञान। (ii) अंग्रेजी से संबंधित भाषा में अनुवाद/अनुवाद के पर्यवेक्षक का 5 वर्ष का अनुभव। (iii) संबंधित भाषा में प्रसारण का अनुभव, या संबंधित भाषा में मूल आलेख लिखने का अनुभव। टिप्पण 1 अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है)

11	12
टिप्पण :—आयोग ऐसे विद्यमान पर्यवेक्षकों की जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सं. 45011/26/80-बी(क) तारीख 3-5-1987 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार नियमित सरकारी सेवकों के रूप में माने जाने का विकल्प देते हैं और जो नियमित सरकारी सेवक के रूप में माने जाने के लिए सीधी भर्ती के (आयु को छोड़कर) लिए विहित अर्हताओं को पूरा करते हैं उपयुक्तता पर विचार करने के लिए एक छानबीन समिति का गठन करेगा। छानबीन समिति उनकी परस्पर ज्येष्ठता के बारे में भी सिफारिश करेगी। छानबीन समिति की सिफारिशों के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों को 6-3-1982 से नियमित पर्यवेक्षक (विदेशी भाषा) माना जाएगा।	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थाओं के अधीन अधिकारी — (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हैं; या (ii) जिन्होंने 700–1300 रुपये के वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 5 वर्ष नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने 650–1200 रुपये के वेतनमान वाले या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 8 वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति : (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 1 सचिव/संयुक्त सचिव (प्रसारण) सूचना और प्रसारण मंत्रालय—अध्यक्ष 2 महानिदेशक, आकाशवाणी- सदस्य; 3 उप महानिदेशक संबद्ध आकाशवाणी —सदस्य टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	चयन प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।

[संख्या : 45011/80/84-बी(ए)]

कश्मीरी लाल, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 8th June, 1987.

G.S.R. 509.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Supervisor (Foreign Languages) in the Directorate General : All India Radio under the Ministry of Information and Broadcasting, namely :

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Directorate General : All India Radio Supervisor (Foreign Languages) Recruitment Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay : The number of the post, its classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc. The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification . No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the said Post .

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to the person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Appointment of existing Supervisors (Foreign Languages) as regular Government employees : The placement/fitment of existing Supervisors (Foreign Languages) working in All India Radio on contract as regular Government servants shall be governed by the procedure laid down in the note under Column 11 in the Schedule to the Rules.

6. Power to relax : Whether the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving : Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post 3	No. of post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or non-selection Post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of Service admission under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6	7
Supervisor (Foreign Languages)	15* (1987) *Subject to variation dependent on work-load	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 1100-50-1600	Not Applicable	Not exceeding 40 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Not

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
8	9	10	11
Essential : A (i) Master's degree from a recognised University in the language concerned. Or (ii) Honours degree or a degree in the concerned language (with at least 6 papers in the concerned Language) from a re-	No	One year for direct recruits	By transfer on deputation (including short-term contract) ailing which by direct recruitment. Note : The Commission shall constitute a screening Committee to consider the suitability of the existing supervisors who opt to be treated as regular Government servants in accordance with the provisions contained in Ministry of

8	9	10	11
cognised University/Institution or equivalent. Or (iii) A diploma of an advanced course of not lees than 3 years duration in the language concerned from the recognised University or Institution. And B (i) Knowledge of the history and culture of the people and the countries/country in which the concerned language is spoken. (ii) 5 years' experience of translation/supervision of translation from English to the language concerned. (iii) Experience in broadcasting in the language concerned; or experience in writing original scripts in the language concerned. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			Information and Broadcasting's letter No. 45011/26/80-B(A) dated 3-5-1982 and who fulfil the prescribed qualifications for direct recruitment (excepting age) for being treated as a regular Government servant. The Screening Committee shall also make recommendations about their inter-se seniority. Officers appointed on the basis of the recommendations of the Screening Committee will be treated as regular Supervisors (Foreign Languages) with effect from 6-3-1982).

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfor to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Transfer on deputation (including short term contract) : Officers under the Central/State Governments/Universities/Research Institutions :— (a) (i) holding analogous posts in a regular basis; or (ii) with 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 700-1300 or equivalent; or (iii) with 8 years regular service in posts in the scale of Rs. 650-1200 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 8. (Period of deputation/contrect including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) 1. Secr tary/Joint Secretary (Boroadcasting), Miinistry of Information and Broadcasting——Chairman 2. Director General, All India Radio—Member 3. Deputy Director General (concerned), All India Radio—Member Note : The proceedings of Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

[No. 45011/80/84-B(A)]

KASHMIRI LAL, Under Secy.